

17 12

प्ररूप - 2 ड.
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन-पत्र

परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के लिए नर्वाचन
(भाग - 1)
हम बिहार (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिए दरभंगा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम अमरेन्द्र शाण्डिल्य (पिता/मता/प्रति का-
नाम) सं० रमेश दत्त शर्मा उसका डाक पता अनन्तकृपा, कॉलेज रोड,
बरीली-851112, बेगूसराय उसका नाम 143, तेवरा
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 129 में क्रम सं० 143 पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम दरभंगा शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नाम निर्देशन के प्रतीक
स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	दरभंगा शिक्षक निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग की क्रम सं०		
1	2	3	4	5
1	08	48	नैरेन्द्र ना.सिंह'निराला	नैरेन्द्र ना. सिंह'निराला 04.03.14
2	07	98	लव कुश शर्मा	लव कुश शर्मा 04.03.014
3	21	10	धीरेन्द्र कुमार	धीरेन्द्र कुमार 04.03.014
4	08	99	रामसागर सिंह	रामसागर सिंह 04.03.14
5	10	83	हीरानन्द आचार्य	हीरानन्द आचार्य 04.03.14
6	08	109	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 04.03.14
7	04	237	हरेन्द्र मोहन	हरेन्द्र मोहन 04.03.14
8	10	123	अमरेन्द्र कुमार चौधरी	अमरेन्द्र कुमार चौधरी 0-4-03-2014
9	07	58	नरेश मोहन भा	नरेश मोहन भा 04.03.14

प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हो, होने चाहिए।

मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मैंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में स्वतंत्र उम्मीदवार ~~किस दल से खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ।~~

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर हिन्दी भाषा का नाम, में सही रूप से लिखा गया है : और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं दरभंगा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख: 04/03/2014

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(अमरेश शर्मा)

जो लागू न हो उसे काट दें।

(भाग - 2)
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिये, या हाँ/नहीं
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हां" में है तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक लाग्र नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लाग्र नहीं जिला(जिले) लाग्र नहीं राज्य लाग्र नहीं
- (iii) संज्ञा अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लाग्र नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियां) की तारीख (तारीखें) लाग्र नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लाग्र नहीं
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें लाग्र नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लाग्र नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हाँ/नहीं लाग्र नहीं
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां लाग्र नहीं
- (x) उस न्यायालय (उस न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाईल किए गये थे लाग्र नहीं
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित हैं लाग्र नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो लाग्र नहीं
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लाग्र नहीं
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लाग्र नहीं

स्थान दहली
तारीख 04/03/2014

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
(अमरेश शर्मा)

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० -

17

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 04.03.2014 तारीख को 12.25 pm बजे,
अभ्यर्थी/प्रस्तापक अमरेंद्र शास्त्रि नाम, द्वारा परिदत्त किया गया।
तारीख 04.03.2014

सहायक निर्वाची पदाधिकारी,
शिव. निवासा धन द. नगा।

रिटनिंग आफिसर - सड़ -

आवृत्त के सचिव
दरभय. प्रमोदक, प. नंगा

(भाग - 4)

नामनिर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख 04.1

रिटनिंग आफिसर

रिटनिंग



4.3.2014
BIHAR
4451

06
प.3.14

दरमंगा बिदक

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) विहार विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
भाग-क

मैं अमरेश शाण्डिल्य *पुत्र/पुत्री/मत्नी स्व. रमेश दत्त शर्मा
आयु 66 वर्ष, जो 'अनन्तकृपा', कॉलेज रोड, बरौनी-
851112, पंचायत: शोकदाया-02, थाना: फुलबरीया,
जिला: बेगूसराय, बिहार

परा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-
(1) मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी

किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है। (**सज्जनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 143, तेघड़ा (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग से
143 के क्रम से 143 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं 06279-232966 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)
शून्य है। +91-9431002049

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थिति

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)

अमरेश शाण्डिल्य

1.	स्वयं	AKIPS 2576D	Asst. Yr. 2013-14	₹ 5,48,751/2	अनु. 03
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य	

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

नाशु नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(1) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नाशु नहीं	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नाशु नहीं	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाशु नहीं	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नाशु नहीं	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नाशु नहीं	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	नाशु नहीं	

(Signature)

है/हैं	लागू नहीं
--------	-----------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
(पूर्वोक्त)

चरिया करियारपुर थाना कांड सं० - 123/90
(बेगुसराय)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

C.D. NO - 2624/90
J.M. 1st class, BEGUSARAI

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	C.D.M. Begusarai, Chariga Bhatnagar P.S. Case No-123/90 - 21/08/95
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	U/S. 143, 188, 447, 186 IPC
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

लागू नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

लागू नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं

(Signature)

1.	स्वयं	AKIPS 2576D	Asst. Yr. 2013-14	₹ 5,48,751/2	अनु. 03
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य	

(5) मैं ऐसे किसी लबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

नाशु नदी

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नाशु नदी	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नाशु नदी	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाशु नदी	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नाशु नदी	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नाशु नदी	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	नाशु नदी	

(Signature)

है/हैं	लागू नहीं
--------	-----------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
(पूर्वोक्त) चरिया बरिंगपुर थाना कांड सं० - 123/90
(बैंगुराज)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

C.D. NO - 2624/90

J.M. Ist class, BEGUSARAI

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	C.G.M. Begusarai, Cheriy Baringpur P.S. Case No-123/90 - 21/08/95
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	U/S. 143, 188, 447, 186 IPC
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: लागू नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है लागू नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं

सिद्धदोष ठहराया गया

(ग)	अधिरूपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्वीकृत (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 30,000/-	₹ 15,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	BOB - Zeromile SB A/c ₹ 2,55,231/- UBJ - Barouni SB A/c - Joint ₹ 5,00,820/- SBI - BFT SB A/c ₹ 10,200/- UBJ - Barouni SB A/c ₹ 2,654/- CBJ - Barouni SB A/c ₹ 2,62,090/-	UBJ - Barouni SB A/c ₹ 2066/- SBI - BFT SB A/c ₹ 31,200/- अनुलग्नक-04	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अमित कुमार

में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	LIC Policy NO. 520907418 निमित्त राशि ₹ 50,000/=	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	WAGON-R BRDLAH 6090 2007 ₹ 3,87,000/=	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेंवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	100 ग्राम 2499/31/24/24 ₹ 3,00,000/=	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 14,47,955/=	₹ 3,98,266/=	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

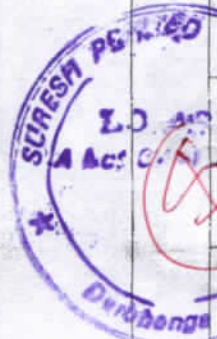
टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	09 कीया विवरणी संकेत अनु०-01	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	6.15 एकड़	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Signature

	है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 45,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण सख्याक (सख्याएँ)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण सख्याक (सख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



अक्षय कुमार

(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) (अवस्थिति) संख्याक (संख्याएँ)	अवस्थिति सर्वेक्षण	शून्य	01 कट्टा अवस्थिति मुख्य अनु: 01	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		शून्य	1487 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)		शून्य	900 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)		लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		लागू नहीं	09/10/1990	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		लागू नहीं	₹ 50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		लागू नहीं	2 BHK Type मकान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य		शून्य	₹ 15,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)		शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य		₹ 45,00,000/-	₹ 15,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	SBI-ADB Begusarai एच-ऋण ₹ 10,00,000/- अनुयोजित ₹ 7,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिको, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	₹ 7,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अक्षय कुमार

(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अध-कर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	संवाकन शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं पेंशन (सेवा निवृत्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर)

(ख) पति या पत्नी गृह कार्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

किरणी सैलान (अनुक्रमिक : 02)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

कीर्ति शर्मा

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं अमरेश शास्त्रि				
2	डाक का पता	अनन्त कृपा, कॉलेज रोड पिन-851112 (बेसराय)				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	143, तेरवाड़ा (बिहार)				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)	एक (01)				
	(iii) कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उठराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्जित आय			
	(क) अभ्यर्थी	AKIR 25761	4284 Yr 2013-14	₹ 548,751/- अलग 03		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 14,47,955/-	₹ 3,98,266/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अमरेश शास्त्रि

ख	स्थावर आस्तियां						
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	₹ 50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	₹ 10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	₹ 15,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 25,000/-	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 6,000/-	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
9	दायित्व	out standing of Home Loan - ₹ 7,00,000/-	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	₹ 10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
	(i) सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	अर्हता	नर्षे	विश्वविद्यालय			
		M.Sc.	1969	Patna University			

अर्हता नर्षे विश्वविद्यालय Patna University

	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)
--	--

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 04/03/2014 को सत्यापित किया गया।



टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

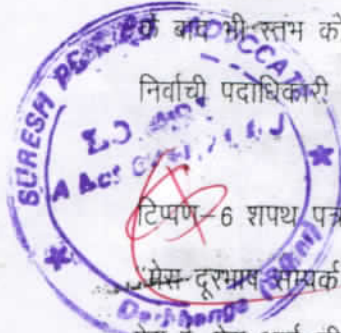
टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरना चाहिए। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची घदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

अभिषाक्षी

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के स्वध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

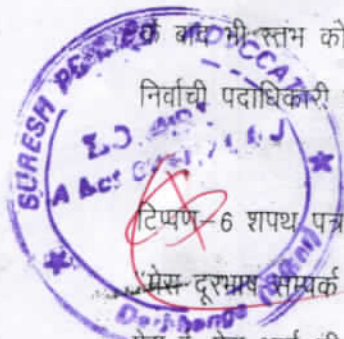
मेरा दूरभाष संपर्क संख्या / संख्यायें है / हैं 06279-232966

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है Mobile - 9431002049

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है नहीं (शून्य)

Signature

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



टिप्पण-6 शपथ पत्र के प्रां 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष संपर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 06279-232966
Mobile - 9431002049

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है नहीं (शून्य)

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है नहीं (शून्य)

अभिषेक कुमार